कार्यभारित कर्मचारियों को क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान का लाभ प्रदान करने संबंधी प्रकरणों को विलम्ब के आधार पर खारिज कराये जाने के लिए आवश्यक तथ्यों एवं मान उच्चतम न्यायलय के निर्णयों का विवरण

कार्यभारित कर्मचारियों को क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान का लाभ प्रदान करने संबंधी प्रकरण, म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग (वेतन आयोग प्रकोष्ठ) मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 5–4/1/वेआप्र/98 भोपाल दिनांक 27 मार्च 2001/29 मार्च 2001 पर आधारित है, जिनमें कार्यभारित स्थापना के अन्य पदों पर कार्यरत कर्मचारियों द्वारा कार्यभारित वाहन चालकों के समान 12 वर्ष एवं 24 वर्ष के उपरांत उक्त परिपत्र के माध्यम से उन्हें दिये गये दो क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ चाहा गया है। यदि उक्त परिपत्र के जारी होने के दिनांक को देखा जावे तो इन प्रकरणों में Cause Of Action वर्ष 2001 में ही उत्पन हो गया था। कार्यभारित वाहन चालकों के समान लाभ प्राप्त करने के लिये कर्मचारियों द्वारा ''के. एल.असरे'' (निर्णय वर्ष–2005) एवं तेजूलाल यादव (निर्णय वर्ष–2009) प्रकरण का सहारा लिया गया है। यदि इन प्रकरणों का न्यायालयीन दृष्टांतों एवं परिपत्र दिनांक 27 मार्च 2001/29 मार्च 2001 के आधार पर विश्लेषण किया जावे तो यह पाया जाता है कि :– (i) यदि परिपत्र को आधार बनाया जाये तो करीब 20 वर्षों के उपरांत एवं यदि (ii) न्यायालयीन दृष्टांतों को आधार बंनाया जावे तो करीब 12–13 वर्षों के उपरांत रिट याचिकायें दायर की गई हैं, जो कि पूरी तरह से अत्यधिक विलंब से दायर प्रकरणों की श्रेणी में आती हैं।

इसके अतिरिक्त कार्यभारित कर्मचारियों द्वारा नियमित कर्मचारियों के लिये वर्ष 2008 में लागू की गई समयमान योजना (वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ11/1/2008/नियम/चार/भोपाल दिनांक 24 जनवरी 2008) का लाभ भी अपनी रिट याचिकाओं के माध्यम से चाहा गया है। यदि परिपत्र के जारी होने के दिनांक को देखा जाये तो इस तरह के लाभों हेतु भी 12–13 वर्षो के पश्चात रिट याचिकायें दायर की गयी हैं।

इन सभी प्रकरणों का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि वित्त विभाग म.प्र.शासन द्वारा आदेश क्रमांक एफ 11–13/1661/2016/नियम/चार भोपाल दिनांक 21.09.2016 के माध्यम से, वर्ष 2008 में नियमित कर्मचारियों को दिये गये समयमान वेतनमान के लाभ को कार्यभारित कर्मचारियों हेतु लागू कर दिया था। सभी वादी कर्मचारियों को जो दिनांक 01.01.2016 की स्थिति में सेवारत थे, उक्त लाभ दिये जा चुके हैं। कर्मचारियों ने उनके लिये वर्ष 2016 में लाई पॉलिसी का लाभ लेते समय अथवा पॉलिसी लागू करने के दिनांक से, वर्तमान रिट याचिकायें दायर करने के पूर्व तक, उक्त पॉलिसी के विरोध में कोई बात नहीं कही है तथा उक्त पॉलिसी को पूर्णतः स्वीकार किया है। पॉलिसी को स्वीकार करने एवं उसका लाभ लेने के 5–6 वर्षो पश्चात इस तरह के लाभ पूर्व के दिनांकों से प्राप्त करने हेतु रिट याचिकायें दायर करना किसी भी दृष्टि से न्यायसंगत नहीं है।

उपरोक्तानुसार सभी दायर प्रकरण उल्लेखित अत्याधिक विलंब से संबंध रखते हैं, तथा इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य हैं।

यदि इन प्रकरणों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित "एम.आर.गुप्ता बनाम भारत संघ के अन्य में पारित निर्णय दिनांक 21 अगस्त 1995 [1996 AIR 669]" में उल्लेखित "Continuons Cause of action" के दृष्टिकोण से भी देखा जाये, तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मामले "Cause of

action" के अभाव में खारिज किये जाने योग्य हैं, तथा सेवारत कर्मचारियों को रिट याचिका दायर करने के दिनांक से मात्र 03 वर्ष पूर्ण तक की ही एरियर राशि की पात्रता आती है।

माननीय न्यायालय द्वारा वर्ष 2013 एवं 2015 में सेवानिवृत्त हुये कर्मचारियों को वर्ष 2023 में दायर की गई रिट याचिकाओं के आधार पर के इस तरह के लाभ देने के आदेश दिये हैं। ऐसे में इन प्रकरणों में ''एम.आर गुप्ता'' प्रकरण के अनुसार वर्तमान स्थिति में वेतन पुनरीक्षण एवं तीन वर्ष पूर्व तक की एरियर राशि देना किसी भांति संभव नहीं है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विलंब के संबंध में पारित कुछ निर्णयों का उल्लेख निम्नानुसार है :–

(i) The Apex Court in Northern Indian Glass Industries vs. Jaswant Singh & others 2002 Supp(3) SCR 534, wherein the Court cautioned that the High Court cannot ignore the delay and latches in approaching the writ court and there must be satisfactory explanation by the petitioner as how he could not come to the court well in time.

A similar view was reiterated by the Apex Court in Printers (Mysore) Ltd. Vs. M.A. Rasheed & another (2004) 4 SCC 460, wherein it held that the High Court should have dismissed the writ petition on the ground of delay and laches.

(ii) The Apex Court in S.S. Balu vs. State of Kerala (2009) 2 SCC 479 in the following terms:

> "17. It is also well-settled principle of law that "delay defeats equity". The Government Order was issued on 15-1-2002. The appellants did not file any writ application questioning the legality and validity thereof. Only after the writ petitions filed by others were allowed and the State of Kerala preferred an appeal thereagainst, they impleaded themselves as party-respondents.
>
> It is now a trite law that where the writ petitioner approaches the High Court after a long delay, reliefs prayed for may be denied to them on the ground of delay and laches irrespective of the fact that they are similarly situated to the other candidates who obtain the benefit of the judgment. It is, thus, not possible for us to issue any direction to the State of Kerala or the Commission to appoint the appellants at this stage."

(iii) The Apex Court in Karnataka Power Corporation Ltd. vs. K. Thangappan (2006) 4 SCC 322 held that series of representation cannot extend the period of limitation to condone the laches on the part of the petitioner. The Apex Court, at Paragraph 6, held as follows:

> 6. Delay or laches is one of the factors which is to be borne in mind by the High Court when they exercise their discretionary powers under Article 226 of the Constitution. In an appropriate case the High Court may refuse to invoke its extraordinary powers if there is such negligence or omission on the part of the applicant to assert his right as